रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 450]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 30, 2016/आषाढ़ 9, 1938
No. 450]	NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 30, 2016/ASADHA 9, 1938

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2016

सा.का.नि. 641(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38वाँ) की धारा 132 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित चेन्नै पार्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरियता और पदोन्नति) संशोधन विनियम 2016 को इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में अनुलग्नित किया गया है।

2. उक्त संशोधन विनियम, कार्यालयी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन होने की तारीख से लागू होंगे।

अनुसूची

चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरियता और पदोन्नति) (संशोधन) विनियम, 2016

महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38वाँ) की धारा 28 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पोर्ट आफ चेन्नै के बोर्ड के न्यासी मन्डल ने चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरियता और पदोन्नति) विनियम, 2008 में संशोधन हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है:

1. **लघु शीर्ष और प्रारंभण :**

(i) ये विनियम चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरियता और पदोन्नति) विनियम 2016 कहलाएँगे।

(ii) ये विनियम महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 124 और 132 के प्रावधानों के तहत यथा अपेक्षित केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बाद, भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक से लागू होंगे।

2. चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरियता और पदोन्नति) विनियम, 2008 में, विनियम 30 में "निर्णय के लिए" शब्द के बाद प्रावधान हेतु अंत में "जिसका निर्णय अंतिम व बाध्य हो" शब्दों को शामिल किया जाएगा ।

[फा. सं. एच –11011/1/2012–पीई–I]

वरूण मित्रा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी:

(i) मूल विनियम: – दि.7 जनवरी 2009, सा.का.नि. सं. 17(अ) में भारत के राजपत्र में प्रकाशित चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरियता और पदोन्नति) विनियम 2008

(ii) पो.प.मं अधिसूचना सा.का.नि. सं. 834(अ) दि.22 नवंबर 2011, में पहले संशोधित विनियम।

(iii) पो.प.मं अधिसूचना दि. 25 सितंबर 2013, सा.का.नि. सं. 674(अ)

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2016

G.S.R. 641(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Chennai Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016 made by the Board of Trustees for the Port of Chennai and are set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Amendment Regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

Chennai Port Trust

CHENNAI PORT TRUST EMPLOYEES' (RECRUITMENT, SENIORITY AND PROMOTION) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2016

In exercise of the powers conferred under Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Chennai hereby makes the following Regulations further to amend the Chennai Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2008 namely :-

1. **Short Title and Commencement:-**

(i) These Regulations may be called as Chennai Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016.

(ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Sections 124 and 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 in the Gazette of India.

2. In the Chennai Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2008, in Regulation 30, at the end of the provision after the words "for a decision", the words, "whose decision thereon shall be final and binding" shall be added.

[F. No. H-11011/01/2012-PE-I]

BARUN MITRA, Jt. Secy.

Foot Note: Principal Regulations – Chennai Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2008 published in the Gazette of India *vide* GSR No.17 (E) dated 7th January 2009 and subsequently amended *vide*

(i) GSR No. 834(E), dated the 22nd November, 2011.

(ii) GSR No. 674(E), dated the 25th September 2013.

The Principal regulations were notified in the Gazette of India under No. GSR 45(E) dated 21st January, 2011.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 663(अ).— महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार विशाखापट्टणम पत्तन न्यास के न्यासी मंडल द्वारा बनाई गई और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दी गई विशाखापट्टणम पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियमावली, 2016 को अनुमोदन देती है।

उक्त संशोधित विनियमावली इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी।

अनुसूची

विशाखापट्टणम पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियमावली, 2016

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए विशाखापट्टणम पत्तन न्यास का न्यासी मंडल विशाखापट्टणम पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियमावली, 2009 को फिर से संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है :-

(1) **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :**

(i) इस विनियमावली का नाम "विशाखापट्टणम पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियमावली, 2016" होगा।

(ii) यह विनियमावली महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 124 एवं 132 के उपबन्धों के अंतर्गत आवश्यक केन्द्र सरकार द्वारा दी गई मंजूरी के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी।

(2) **विशाखापट्टणम पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियमावली, 2009 में सतर्कता विभाग के अंतर्गत उप मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद की अनुसूची में:**

(i) कालम 11 की प्रविष्टियों को "विशाखापट्टणम" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) कालम 12 की प्रविष्टियों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"महापत्तन न्यासों में समकक्ष पद धारण करने वाले अधिकारियों अथवा महापत्तन न्यासों में रु. 20600-46500 (रु. 10750-16750 संशोधन पूर्व) के वेतनमान में उस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके अधिकारियों में से और ऐसा न होने पर केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रमों/ स्वायत्तशासी निकायों में समान ग्रेड में कार्य करने वाले अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा।"

[फा. सं. पीआर–12012/2/2011–पीई–I]

बरूण मित्रा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली भारत के राजपत्र में दि. 27/8/2009 के साकानि 601(स्था.) द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2016

G.S.R. 663(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the ıkhapatnam Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2009 made by Board of Trustees for the Port of Visakhapatnam and are set out in the Schedule annexed to this Notification.

The said Regulations shall come into force on the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

Visakhapatnam Port Trust

isakhapatnam Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963(38 of 1963), the Board of stees of the Port of Visakhapatnam hereby makes the following regulations further to amend the Visakhapatnam Port st Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2009, namely :-

Short Title and commencement.-

(i) These Regulations may be called as the Visakhapatnam Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016.

(ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Section 124 and 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 in the Gazette of India.

In the Visakhapatnam Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2009, in the edule, for post of Deputy Chief Vigilance Officer under the Vigilance Department.–

(i) the entries under Column No. 11 shall be substituted by the words, "By deputation".

(ii) The entries under Column No. 12 shall be substituted by the following:

"Deputation from officers of Major Port Trusts holding analogous posts or officers holding posts in the pay scale of Rs.20600-46500 (Rs. 10750-16750 pre-revised), with 3 years regular service in the grade in Major Port Trusts failing which from officers of the Central Govt./ State Govt./PSUs/Autonomous Bodies with similar grade."

[F. No. PR-12012/2/2011-PE-I]

BARUN MITRA, Jt. Secy.

TE : The Principal regulations were notified in the Gazette of India under No. GSR 601(E) dated 27th August, 2009.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2015

सा.का.नि. 605(अ).—महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप–धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप–धारा (1) के तहत पदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार–विशाखपट्टणम पोर्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम 2009 में आगे का संशोधन करने के लिए विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए विशाखपट्टणम पोर्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम 2015 को अनुमोदन देता है और जो, यह अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में बयान करता है ।

2 उक्त संशोधन विनियम, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करने की तिथि से लागू होंगे ।

अनुसूची

विषाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संषोधन विनियम, 2015

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 28 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट–विशाखपट्टणम पोर्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम 2009 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, बशर्ते कि उक्त अधिनियम की धारा 124 के तहत केन्द्र सरकार की अनुमोदन प्राप्त हो और सरकारी राजपत्र में प्रकाशित हो ।

लघु शीर्ष और प्रारंभ :–

(i) इन विनियमों को "विशाखपट्टणम पोर्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम 2015" कहा जाएगा।

(ii) ये विनियम महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 124 एवं 132 के प्रावधानों के तहत अपेक्षानुसार, सरकारी राजपत्र में केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

(2) विशाखपट्टणम पोर्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम 2009 में, विनियम 12 की उप–विनियम (2) (ए) में "सेवा चयन समिति" में, शब्द "पोत परिवहन मंत्रालय के संयुक्त सचिव (पत्तन)–अध्यक्ष" को निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाए ।

"पी एच आर डी कार्यों के लिए प्रभारी पोत परिवहन मंत्रालय के संयुक्त सचिव–अध्यक्ष"

[फा. सं. पीआर–12016/2/2015–पीई–I]

बरूण मित्रा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमों को सा.का.नि. सं. 601(अ), में दि. 27–08–2009 को प्रकाशित किया गया ।

(i) सा.का.नि. 601(अ), दि. 27–08–2009

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2015

G.S.R. 605(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Visakhapatnam Port Trust Employees (Recruitment, Seniority & Promotion) Amendment Regulations, 2015 made by the Board of Trustees for the Port of Visakhapatnam further to amend the Visakhapatnam Port Trust Employees (Recruitment, Seniority & Promotion) Regulations, 2009 and are set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Amendment Regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

Visakhapatnam Port Trust Employees (Recruitment, Seniority & Promotion) Amendment Regulations, 2015.

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Visakhapatnam Port Trust hereby makes the following Regulations to amend the Visakhapatnam Port Employees (Recruitment, Seniority & Promotion) Regulations, 2009, subject to approval of the Central Government under Section 124 of the said Act and publication in the Official Gazette.

1. **Short Title and commencement ;**

(i) These Regulations may be called "the Visakhapatnam Port Trust Employees (Recruitment, Seniority & Promotion) Amendment Regulations, 2015".

(ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Section 124 and 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 in the Official Gazette.

2. In the Visakhapatnam Port Trust Employees (Recruitment, Seniority & Promotion) Regulations, 2009, in Sub Regulation (2) (a) of Regulation 12-'SERVICES SELECTION COMMITTEE', the words "Joint Secretary (Ports) of the Ministry of Shipping – Chairman" shall be substituted by the following:—

"Joint Secretary of the Ministry of Shipping looking after the charge of PHRD—Chairman"

[F. No. PR-12016/2/2015-PE-I]

BARUN MITRA, Jt. Secy.

Foot Note : Principal Regulations published vide G.S.R. No. 601(E), dated 27.08.2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.